रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262] नई दिल्ली, बुधवार, जून 22, 1994/अषाढ़ 1, 1916

No. 262] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 22, 1994/ASADHA 1, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 1994

सं. 134/सीमाशुल्क

सा. का. नि. 525(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 103-सीमाशुल्क, तारीख 5 दिसम्बर, 1970 को अधिक्रांत करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सारणी में विनिर्दिष्ट माल को, जब उनका मरम्मत, पुनरनुकूलन या पुनः इंजीनियरी के लिए भारत में आयात किया जाए, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क से और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है :—

(क) यथास्थिति, मरम्मत, पुनरनुकूलन या पुनः इंजीनियरी सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 65 के उपबंधों के अनुसार की जाती है, और

(ख) यथास्थिति, मरम्मत किए गए, पुनरनुकूलन या पुनः इंजीनियरी किए गए माल का निर्यात किया जाता है और उनकी एकक के बाहर निकासी नहीं की जा सकती है ।

सारणी

1 पूंजी माल और उनके अतिरिक्त पुर्जे

2. सामग्री उठाई-धराई उपस्कर, अर्थात् कांटा उत्कर्षित्र, गिरोपरिक्रेन, चल क्रेन, क्राडलर क्रेन, उत्तोलक तथा स्टेकर और उनके अतिरिक्त पुर्जे ।

3. बद्ध विद्युत उत्पादन सेट और उनके अतिरिक्त पुर्जे, ईंधन, स्नेहक और ऐसे उत्पादन सेटों के लिए अन्य खपने वाली सामग्री।

4. कार्यालय उपस्कर, अतिरिक्त पुर्जे और उनकी खपने वाली सामग्री।

5. कच्ची सामग्री।

6. संघटक

7. खपने वाली सामग्री।

8. पैकेजिंग सामग्री।

9. औजार, जिग, गेज, मिक्सचर, सांचे, डाई, उपकरण और उपसाधन तथा उनके अतिरिक्त पुर्जे।

10. मरम्मत, पुनरनुकूलन या पुनः इंजीनियरी के लिए आयातित ऐसा माल, जो ऐसी मरम्मत इसके पुनरनुकूलन या पुनः इंजीनियरी के पश्चात् आयात की तारीख से तीन वर्ष के भीतर निर्यात के लिए है।

[फा. सं. 314/21/93-एफ डी टी]

अनिल सिंह बेदी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 1994

NO. 134|94-CUSTOMS

G.S.R. 525(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 103-Customs, dated the 5th December, 1970 the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest as to do, hereby exempts goods specified in the Table annexed hereto, when imported into India for carrying out repairs, reconditioning or reengineering, from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and from the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, subject to the conditions that :—

(a) the repair, reconditioning or reengineering, as the case may be, is undertaken in accordance with the provisions of section 65 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and

(b) the goods repaired, reconditioned or reengineered, as the case may be, are exported and are not cleared outside the Unit.

TABLE

1. Capital goods and spares thereof.

2. Material handling equipments, namely, fork lifts, over-head cranes, mobile cranes, crawler cranes, hoists and stackers and spares thereof.

3. Captive power generating sets and their spares, fuel, lubricants and other consumables for such generating sets.

4. Office equipmets, spares and consumables thereof.

5. Raw materials.

6. Components.

7. Consumables.

8. Packaging materials.

9. Tools, Jigs, gauges, fixtures, moulds, dies, instruments and accessories and spares thereof.

10. Goods imported for repairs, reconditioning or reengineering for export, after such repair, reconditioning or reengineering thereof, within three years of the date of importation.

[F. No. 314|21|93-FDT]

ANIL SINGH BEDI, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994